

आदेश की क्रम
संख्या और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख
सहित

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।

Confiscation Case No. -20/2024-25

22.08.2025

सरकार द्वारा पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा बनाम ट्रेक्टर संख्या-JH21M-3048 के मालिक एवं अन्य

आदेश

यह वाद पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा के पत्रांक-1063/अप0शा0, दिनांक-23.08.2024 द्वारा जामताड़ा थाना काण्ड संख्या-139/2024, दिनांक-25.06.2024 में जप्त बालु का अधिग्रहण एवं जप्त ट्रेक्टर संख्या-JH21M-3048 को राजसात/अधिग्रहण किये जाने की अनुरोध पर दायर है।

माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा वाद संख्या-WPC 6788 of 2023 में पारित आदेश दिनांक-22.07.2024 के द्वारा The "Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017" के नियम 11(V) को Ultra vires घोषित कर दिया गया है। फलस्वरूप अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उक्त निवेदन के अंतर्गत राजसात/अधिग्रहण वाद की सुनवाई बरी की जा सकती है।

अतः पक्षकार राजसात/अधिग्रहण वाद संवालय करने हेतु सक्षम न्यायालय जा सकते हैं।
वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।



उपायुक्त,
जामताड़ा।



उपायुक्त,
जामताड़ा।

Seen
Admitted
22.08.2025